**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1330**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 14 मार्च, 2017/ 23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)**

**विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाया जाना**

**1330. श्री अनुभव मोहंतीः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि निर्वाचित होने पर वह इस देश के कर अपवंचकों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किये गये काले धन को वापस लाएगी;

(ख) सरकार विदेशी बैंकों से काले धन को वापस लाने में कितनी सफल हुई है;

(ग) क्या सरकार काले धन को वापस लाने के लिए विदेशों से बातचीत कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने उन कर अपवंचकों के नाम की पहचान कर ली है जिन्होंने अपने काले धन को विदेशों में रखा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों के नाम उजागर करने की इच्छुक है और उनके नाम कब तक उजागर किए जाएंगे?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) विदेश में जमा काले धन सहित काले धन के विरूद्ध कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी कार्रवाई में शामिल हैं – नीतिगत पहलें, जमीनी स्तर पर और अधिक कारगर प्रवर्तन कार्रवाई, क्षमता निर्माण और सूचना के समेकन पर समुचित बल देते हुए एक विशाल विधायी और प्रशासनिक ढांचा, प्रणाली और प्रक्रिया विकसित करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से इसका प्रयोग करना।

(ख) 01.04.2014 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग की प्रवर्तन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप 60,000 करोड़ रुपए से अघोषित आय को स्वीकार किया गया और 2607 करोड़ रुपए के अघोषित परिसंपत्ति को जब्त किया गया है। पिछले लगभग 2 वर्षों में एचएसबीसी मामलों में रिपोर्ट नहीं किए गए विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि के कारण लगभग 8400 करोड़ रूपए (1685 करोड़ रूपए की आय के संरक्षणात्मक निर्धारण सहित) को कर के दायरे में लाया गया है तथा ऐसे भारतीयों जिनके नाम इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नालिस्ट द्वारा प्रकट किए गए थे, के अघोषित विदेशी खातों में लगभग 8500 करोड़ रूपए का पता चला है।

काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वन टाइम थ्री मंथ्स कम्प्लायंस विन्डो के तहत 648 घोषणाएँ की गईं जिनमें 4,164/- करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी परिसंपत्ति की बात निहित है। कर और दण्ड के द्वारा ऐसे मामलों में लगभग 2,476/- करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है।

(ग) कर अपवंचन को रोकने के क्रम में वित्तीय सूचना के पूर्व सक्रिय रूप से साझा किए जाने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। इसने विदेश लेखा कर अनुपालना अधिनियम के अंतर्गत यूएसए के साथ सूचना साझा किए जाने का करार किया है; दोहरे कर परिहार करार/कर सूचना आदान-प्रदान करार/बहुपक्षीय कंवेशन के अंतर्गत सूचना के आदान-प्रदान के लिए विदेशी सरकारों के साथ पूर्व सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है; और सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में आर्टिकल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाने के लिए दोहरे कराधान परिहारों पर चर्चा की है।

(घ) और (ड.) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के सिवाय विशिष्ट करदाताओं के संबंध में सूचना के प्रकटीकरण का निषेद्ध है। इसके अलावा, विदेशों के साथ कर संधियों के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त सूचना को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे अभिकारकों के संबंध में गोपनीयता खण्ड द्वारा अधिशासित किया जाता है।

**\*\*\*\*\***